सरकार के सचिव और अन्य

बनाम

मेसर्स पीके री-रोलिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड।

अप्रैल 3,2007

[एस. एच. कपाडिया और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. जे.]

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 - धारा 10 - कर छूट -एक अधिस्चना द्वारा स्वीकृत - एक नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट कुछ उद्योगों के संबंध में सरकारी आदेश द्वारा उसकी निकासी-एक स्पष्टीकरणात्मक सरकारी आदेश द्वारा कुछ और उद्योगों को शामिल करके संशोधित नकारात्मक सूची - कर छूट से इनकार स्पष्टीकरणकर्ता-सरकारी आदेश के संचालन का स्वामित्व चाहे वह संभावित हो-अभिनिर्धारित: राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत बिजली की भारी कमी के कारण कर छूट वापस लेने के लिए सरकारी आदेश जारी करने का अधिकार था-सरकारी आदेश वापस लेने की छूट जारी करने में कोई कमी नहीं है - बाद का सरकारी आदेश पिछले सरकारी आदेश के लिए स्पष्टीकरणात्मक होने के कारण, पूर्वव्यापी रूप से काम

करेगा-कुछ प्रश्न जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था, उन्हें वापस भेज दिया गया-

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 162- पूर्वव्यापी परिचालन-कराधान-बिक्री कर।

अधिसूचना दिनांकित 4.11.1993 के तहत, धारा 10 केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के तहत कर छूट दी गई थी। मध्यम पैमाने की इकाइयों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के सात वर्षों के लिए थे। इसके बाद, राज्य में बिजली की भारी कमी के कारण, सरकार ने दिनांक 26/27-11-1993 के एक सरकारी आदेश में कहा कि नकारात्मक सूची में शामिल कुछ उद्योग राज्य निवेश सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। नकारात्मक सूची में से एक वस्तु "पावर गहन इकाई" थी। जिसकी कुल बिजली की आवश्यकता 2500 केवीए से अधिक हो और जहां बिजली की लागत उत्पादन लागत के 25 प्रतिशत से अधिक हो।

सरकारी आदेश ने 31.12.1993 को या उसके बाद अस्थायी रूप से पंजीकृत इकाइयों को सब्सिडी देने से इनकार कर दिया। 26 / 27-11-1993 के सरकारी आदेश को एक स्पष्टीकरण देने वाले सरकारी आदेश दिनांक 19.4.1994 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि कर छूट उन सभी उद्योगों के लिए उपलब्ध रहेगी जो 31.12.1993 से पहले अस्थायी रूप से पंजीकृत थे। एक और स्पष्टीकरण सरकारी आदेश 169 / 98 / आई. डी.

दिनांक 24.11.1998 द्वारा राज्य सरकार ने सभी प्रकार की स्टील री-रोलिंग मिलों, लोहे की सिल्लियों के निर्माण की इकाइयों को शामिल करके नकारात्मक सूची को संशोधित किया।

प्रत्यर्थी-कंपनी (अपील संख्या 8031/2004 में) ने एक अधिस्चना दिनांक 4.11.1993 द्वारा कर छूट के कारण एक औद्यौगिक इकाई शुरू की। इसका व्यावसायिक उत्पादन 31.3.1995 को शुरू हुआ। इसके बाद, इसने अतिरिक्त निवेश और कर छूट की मांग की और इसे 31.3.1995 से 30.3.2002 तक सात वर्षों के लिए प्रदान किया गया। उद्योग निदेशक के समक्ष छूट आवेदन के लंबित रहने के दौरान अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया जिसके कारण अनुबंध भार में वृद्धि हुई। अतिरिक्त पूंजी निवेश के संबंध में प्रत्यर्थी का दावा दिनांक 26/27-11-1993 के सरकार आदेश पर भरोसा करके और इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इकाई का भार कारक 2500 केवीए से अधिक था।

अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिकाएँ खारिज कर दी। डिवीजन बेंच ने रिट अपील की अनुमति दी। इसलिए अपील दायर की गई।

प्रत्यर्थी-कंपनी (सिविल अपील संख्या 8034/2004 में) के मामले में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या वह 24.11.1998 के बाद किए गए अतिरिक्त निवेश पर छूट की हकदार थी। प्रत्यर्थी का तर्क यह था कि दिनांक 24.11.1998 का सरकारी आदेश संभावित रूप से संचालित था।

अपीलों को अनुमित देना और मामले को उच्च न्यायालय, न्यायालय को प्रेषित करना।

अभिर्निधारित 1.1. राज्य सरकार के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत दिनांक 26/27.11.1993 को राज्य में बिजली की गम्भीर कमी के कारण कर छूट को वापस लेने के लिए सरकारी आदेश जारी करने का अधिकार था।

[पैरा 7] [728-जी]

1.2. राज्य बिजली की भारी कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी व्यापक सरकारी आदेश दिनांकित 26/27.11.1993 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है। यह निर्विवाद है कि 4.11.1993 पर राज्य सरकार ने धारा 10(1) के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें मध्यम स्तर की इकाइयों सात वर्षों के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई थी। इस प्रकार, राज्य ने विद्युत अधिनियम के तहत रियायतें दी थीं। इसने सब्सिडी का वादा किया था। बिजली की गम्भीर कमी के कारण उद्योग मंत्रालय के सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 के द्वारा ये सभी छूट/रियायतें वापस ले ली गई। दिनांक 26/27.11.1993 को उक्त सरकारी आदेश जारी करने में कोई त्रुटि नहीं है। [पैरा 8] [729-ए-बी]

- 2.1. सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 को सरकारी आदेश दिनांक 24.11.1998 द्वारा संशोधित किया गया। इसलिए, यदि उक्त सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1998 लागू पाया जाता है, तो सरकारी आदेश दिनांक 24.11.1998 एक स्पष्टीकरणात्मक सरकारी आदेश के रूप में लागू होगा। [पैरा 18] [732-सी]
- 2.2. सरकारी आदेश दिनांकित 24.11.1998 स्पष्टीकरणात्मक है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारी आदेश दिनांकित 24.11.1998 संभावित है न कि पूर्वव्यापी। [पैरा 18] [732-सी-डी]
- 3. चूंकि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 के खंड 7 की व्याख्या के प्रश्न की जांच नहीं की है, स्पष्टीकरण सरकारी आदेश दिनांक 19.4.1994 का दायरा, और सरकारी आदेश संख्या 169/95/आई.डी. दिनांक 1.11.1995 का कारण 3, केवल उस हद तक, मामला विचार के लिए खंड पीठ को भेजा जाता है। [पैरा 13] [731-बी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8031/2004

2003 के रिट एप्लीकेशन सं. 1561 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 07.10.2003 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी. ए. नं. 8032-8034 /2004

अपीलार्थियों की ओर से आर. वेंकटरमानी, जी. प्रकाश और बीना प्रकाश।

प्रत्यर्थी की ओर से एफ. एस. नरीमन, एस. गणेश और एल. एन. राव, ई. एम. एस. अन्नान, फजलिन अन्नान, अजय के. जैन, एम. पी. विनोद और एम. मार्कोस।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कपाडिया द्वारा सुनाया गया।

सिविल अपील सं. 8031/04 और 8032-8033/04-

- 1. 2003 के डब्ल्यू. ए. सं. 991 और 1316 में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए सामान्य निर्णय दिनांकित 22.8.2003 से व्यथित होकर, राज्य वर्तमान दीवानी अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय में आया है।
 - 2. इन दीवानी अपीलों को बढ़ोत्तरी देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं-
- 3. यहां प्रत्यर्थी पीके री-रोलिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड, को 6.9.1991 को एक औद्योगिक इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया था। उनका दावा है कि वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से शुरू होने वाली निश्चित अवधी के लिए बिक्री कर के भुगतान से औद्योगिक इकाइयों को दी गई कर छूट के कारण उन्हाेंने राज्य में एक औद्योगिक इकाई स्थापित की हैं। कर

छूट वास्तव में केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 ("1963 अधिनियम") की धारा 10 के तहत अधिसूचना 4-11-1993 के तहत दी गइ थी।

उस अधिसूचना के तहत, मध्यम स्तर की इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से सात वर्ष तक की छूट स्वीकार थी। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने 31.3.1995 को उक्त उत्पादन शुरू किया था, उसके लिए मध्यम पैमाने की इकाइयों को कर छूट दी गई थी। बीच में, राज्य में बिजली की गम्भीर कमी के कारण, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि नकारात्मक सूची में शामिल कुछ उद्योग राज्य निवेश सब्सिडी और कुछ अन्य सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

नकारात्मक सूची में से एक आइटम, आइटम नं. "उर्जा गहन 7 इकाइयां" है, जिनकी कुल बिजली आवश्यकता 2500 केवीए से अधिक थी और जहां बिजली की लागत उत्पादन लागत का 25 प्रतिशत से अधिक थी। उक्त शासनादेश के खंड 2 और के अनुसार, नकारात्मक सूची में सभी इकाइयों को या उसके बाद अस्थायी रूप से पंजीकृत नकारात्मक सूची की सभी इकाइयों को राज्य निवेश सब्सिडी से वंचित कर दिया गया था। उक्त शासनादेश के खंड 3 द्वारा नकारात्मक सूची में मौजूदा इकाइयों के विस्तार /आध्निकीकरण / विविधीकरण को भी सरकार द्वारा छूट से

अयोग्य घोषित कर दिया गया था, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां इकाई द्वारा 31.12.1993 को या उससे पहले आवेदन किया गया था।

4. 31.3.1995 को वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद और मार्च, 1996 से पहले, प्रत्यर्थी द्वारा भवन के निर्माण, संयंत्र और मशीनरी की स्थापना, विद्युतीकरण आदि के लिए अतिरिक्त निवेश किया गया था। यह विस्तार डाउनलाइन एकीकरण के उद्देश्य से किया गया था ताकि प्रत्यर्थी को स्टील सिल्लियां, एक इनप्ट में लोहे की छड़ें और बार के निर्माण में सक्षम बनाया जा सके। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद, प्रत्यर्थी ने 20.6.1997 को कर छूट के लिए आवेदन किया। उद्योग निदेशक ने पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया और उक्त के आधार पर प्रमाण पत्र, कर आयुक्त ने 19.12.1997 को प्रत्यर्थी को प्रारंभिक निवेश पर 31.3.1995 से 30.3.2002 तक सात वर्षों के लिए 2.66 करोड़ रुपये (लगभग) की छूट दी। उद्योग निदेशक के समक्ष छूट आवेदन के लंबित रहने के दौरान, 5 करोड़ रुपये (लगभग)का अतिरिक्त पूंजी निवेश कमाया गया। इससे अनुबंध भार में वृद्घि ह्ई और इसलिए, अतिरिक्त पूँजी निवेश के आधार पर कर छूट का दावा करने वाले प्रत्यर्थी द्वारा 24.9.1997 को एक आवेदन किया गया था। यह आवेदन दिनांक 24.9.1997 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रत्यर्थी 2500 केवीए से अधिक भार कारक वाली एक शक्ति गहन इकाई थी। उस संबंध में दिनांक

26/27.11.1993 के सरकारी आदेश पर भरोसा रखा गया था। इस आदेश के कारण मुकदमा चलाया गया। अनावश्यक विवरण में जाए बिना, इतना कहना पर्याप्त है कि सरकार और उद्योग निदेशक दोनों, उपरोक्त सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 पर भरोसा करके कर छूट के दावे काे अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़े।

इसके कारण प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में 2000 की ओ. पी. संख्या 32947 और 32807 दाखिल की गई। घटनाओं के कालक्रम को पूरा करने के लिए, 19.4.1994 को सरकार ने सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया। उक्त सरकारी आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कर छूट उन सभी उद्योगों के लिए उपलब्ध रहेगी जो 31.12.1993 से पहले अस्थायी रूप से पंजीकृत थे और केवल नकारात्मक सूची में वे उद्योग जो 31.12.1993 को या उसके बाद पंजीकृत थी, वह सरकार से वित्तीय सहायता/कर छूट के लिए के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए, उक्त 2000 के उक्त ओ. पी. संख्या में 32947 और 32807 में प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए आधारों में से एक यह था कि सरकार के साथ-साथ उदयोग निदेशक ने भी स्पष्टीकरण सरकारी आदेश दिनांकित 19.4.1994 पर विचार किए बिना प्रत्यर्थी को कर छूट से इनकार करने में गलती की थी।

उक्त रिट याचिकाओं में उद्योग निदेशक द्वारा दिनांक 21.10.2000 को आदेश पर सवाल उठाया गया था कि प्रत्यर्थी अतिरिक्त पूंजी निवेश के संबंध में कर छूट का हकदार नहीं था। यह आदेश प्रमुख सचिव द्वारा उद्योग निदेशक को संबोधित करते हुए दिनांक 5.7.2000 के एक अंतर विभागीय पत्र के आधार पर पारित किया गया था, जिसे विभाग ने " स्पष्टीकरण " कहा है। उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी दवारा यह तर्क दिया गया कि कर छूट के लिए पात्रता केवल उक्त 1963 के अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत वैधानिक अधिसूचना के संदर्भ में तय की जानी थी, ना कि सामान्य कार्यकारी आदेशों जो एेसा नहीं करते के संदर्भ में जो वैधानिक स्थिति का नहीं है और उक्त सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 दवारा यह राज्य सरकार के लिए अधिसूचना दिनांकित 4.11.1993 के माध्यम से दी गई कर छूट का लाभ वापस लेने के लिए खुला नहीं था।

5. दिनांक 10.4.2003 के निर्णय द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 जो विभिन्न विषयों से संबंधित एक व्यापक अधिसूचना थी। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त 1963 अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत भी, सरकार को उस अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत किसी भी अधिसूचना को रद्द करने या संशोधित करने की विशिष्ट शक्ति दी गई थी और इसलिए, उक्त

सरकारी आदेश का प्रभाव दिनांक 26/27.11.1993 की अधिसूचना दिनांक 4.11.1993 में संशोधन करना था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि जब सरकार के पास ऐसी अधिसूचना जारी करने की वैधानिक शक्ति है, तो कानून के प्रावधानों के संदर्भ के बिना जारी किए गए किसी भी सरकारी आदेश को एेसी शक्ति के प्रयोग में जारी किया गया माना जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी की ओर से इस आशय का तर्क दिया गया है कि सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 उक्त 1963 अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत वैधानिक अधिसूचना दिनांक 4.11.1993 में संशोधन का कारण नहीं बन सकता है, खारिज कर दिया गया। याचिका में, प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह भी था कि प्रत्यर्थी की इकाई बिजली गहन इकाई नहीं थी क्योंकि बिजली की लागत के कारण इसका खर्च इसके कुल उत्पादन की लागत के 25 प्रतिशत से कम था। इस संबंध में, प्रत्यर्थी ने सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 के खंड 7 पर भरोसा रखा। इस तर्क को विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मुद्दे का निर्णय संबद्ध भार के संदर्भ में खंड 7 की व्याख्या पर किया जा सकता है, न कि बिजली शुल्क के कारण होने वाली उत्पादन लागत के संदर्भ में।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने खंड 7 में 'और' शब्द की व्याख्या की और इसे विच्छेदात्मक रूप में पढ़ा। उस आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि 'और' शब्द का उपयोग खंड 7 में किया गया था, दो शर्तें, अर्थात्, 2500 केवीए से अधिक का अनुबंध भार और उत्पादन की लागत के 25 प्रतिशत से अधिक पर बिजली की लागत, को संयुक्त रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है और उन्हें विच्छेदात्मक रूप से पढ़ा जाए। दूसरे शब्दों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 'और' शब्द को 'या' के रूप में पढ़ा है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी छूट का हकदार था, क्योंकि इसकी इकाई 31.12.1993 से पहले पंजीकृत थी।

इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 के खंड 3 के तहत, नकारात्मक सूची में शामिल क्षेत्रों में मौजूदा इकाई का विस्तार कर छूट का हकदार नहीं था, जब तक कि 31.12.1993 को या उससे पहले आवेदन नहीं किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, प्रत्यर्थी को प्रारंभिक निवेश पर 31.3.1995 से 30.3.2002 तक सात वर्षों की पूरी अवधि के लिए कर छूट दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, दिनांक 19.4.1994 के स्पष्टीकरण सरकारी आदेश को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, प्रत्यर्थी की इकाई 26.11.1993 को नकारात्मक

सूची में नहीं थी। यह केवल 1.7.1995 के बाद प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अतिरिक्त निवेशों के आधार पर नकारात्मक सूची के अंतर्गत आया और, इसलिए, यह नकारात्मक सूची में मौजूदा उद्योग द्वारा अतिरिक्त निवेश करने और उस पर कर छूट का दावा करने का मामला नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, यह एक ऐसा मामला था जहाँ अतिरिक्त निवेश करके, प्रत्यर्थी द्वारा अपनी इकाई को नकारात्मक सूची में लाया गया था। उपरोक्त कारणों से 2000 के ओ. पी. सं. 32807 और 32947 को खारिज कर दिया गया।

- 6. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका खंड पीठ में लाया गया। विवादित फैसले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 सब्सिडी का अनुदान वापस लेने वाली एक सामान्य अधिसूचना थी और उक्त सरकारी आदेश के विपरीत, छूट अधिसूचना दिनांक 4.11.1993 उक्त 1963 अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत जारी एक विशिष्ट अधिसूचना थी और इसलिए, विशिष्ट अधिसूचना सामान्य सरकारी आदेश/अधिसूचना दिनांक 26/27.11.1993 को ओवरराइड कर देगी। तदनुसार, ये दीवानी याचिकाएं थी, इसलिए रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई थी।
- 7. हमारा विचार है कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य में बिजली की गम्भीर कमी के कारण कर छूट को

वापस लेने के लिए दिनांक 26 / 27.11.1993 को सरकारी आदेश जारी करने का अधिकार था। हालाँकि, नीचे उल्लिखित कारणों के लिए, हम सिद्धांत के बड़े प्रश्न की जांच नहीं कर रहे हैं, अर्थात्, 1963 के अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत विशिष्ट अधिसूचना की प्रयोज्यता, दिनांकित 26 / 27.11.1993 द्वारा जारी व्यापक अधिसूचना उद्योग मंत्रालय 1963 अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत छूट सहित सभी कर छूट वापस ले रहा है।

8. हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि बिजली की गम्भीर कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी व्यापक सरकारी आदेश दिनांकित 26 / 27.11.1993 वर्तमान तथ्यों के मामले पर लागू है। यह निर्विवाद है कि 4.11.1993 को राज्य सरकार ने धारा 10 (1) के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें मध्यम स्तर की इकाइयों को सात वर्ष के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। इसी तरह, राज्य ने विद्युत अधिनियम के तहत रियायतें दी थी। इसमें सब्सिडी का वादा किया गया था। बिजली की गम्भीर कमी के कारण उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 द्वारा ये सभी छूट/रियायतें वापस ले ली गई थी। हम उक्त सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 को जारी करने में कोई तृटि नहीं पाते हैं।

9. दिनांक 19.4.1994 के स्पष्टीकरण के दायरे के बारे में प्रश्न अभी भी बना हुआ है। इस प्रश्न की खंड पीठ द्वारा जांच नहीं की गई है। अपीलार्थियों के अनुसार, उक्त स्पष्टीकरण सरकारी आदेश उन इकाइयों पर लागू नहीं था जिन्होंने 26.11.1993 के बाद अतिरिक्त निवेश किया था। हालांकि, इस पहलू की खंड पीठ द्वारा जाँच नहीं की गई है। खंड पीठ ने भी

सरकारी आदेश सं. 169/95/आई. डी. दिनांक 1.11.1995 के खंड 3 की भी जांच नहीं की है, जो निम्नलिखित प्रकार है:

"3. जनरेटर में निवेश कर छूट के उद्देश्य हेतु पात्र होगा। उपकरणों और बैकवर्ड या फॉरवर्ड एकीकरण की लाइनों को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त निवेश केवल कर छूट के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त निवेश के रूप में योग्य होगा। कर छूट पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त निवेश का अर्थ इकाई के संचालन के लिए आवश्यक निवेश होगा, जो हालांकि नहीं हैं; विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के रूप में स्वतंत्र रूप से अर्हता प्राप्त करने पर, इकाइयां अविध में विस्तार किए

बिना पहले से प्राप्त कर छूट के लिए केवल मौद्रिक सीमा में वृद्धि की हकदार होंगी। अतिरिक्त निवेश के लिए कर छूट उस अवधि के दौरान दी जा सकती है जब इकाई अपनी प्रारंभिक कर छूट का आनंद ले रही हो या जब इकाई विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के कारण कर छूट का आनंद ले रही हो।"

- 10. उद्योग निदेशक के अपने आदेश दिनांक 21.10.2000 में प्रत्यर्थी की कर छूट को खारिज करते हुए दिनांक 5.7.2000 के एक अंतर विभागीय पत्र पर भरोसा किया है। इस पत्र के प्रभाव पर भी खंड पीठ ने विचार नहीं किया है, चाहे वह पात्र एक संशोधन हो या स्पष्टीकरण।
- 11. इस प्रकार, खंड पीठ सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 के खंड 7 पर विचार करने में विफल रही है। हम यहाँ नीचे खंड 7 को पुनः प्रस्तुत करते हैं:
 - "7. विद्युत तापीय/विद्युत रसायन प्रोसेसर या इकाइयाँ पर आधारित बिजली गहन इकाइयाँ जहाँ कुल बिजली की आवश्यकता अनुबंध भार के 2500 केवीए से अधिक हैं और जहां बिजली की लागत निर्मित वस्तुऔं के उत्पादन की लागत का 25 प्रतिशत से अधिक है, सिवाय उन जगहों को छोड़कर जहां इकाइयाँ स्वयं अपना आबद्घ बिजली उत्पादन

करती हैं, अनुबंध भार के 2500 केवीए से अधिक बिजली की आवश्यकता हो।" (जोर दिया गया)

12. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थियों के अनुसार, उपरोक्त उद्धृत खंड में 'और' शब्द को 'या' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जबिक, प्रत्यर्थी के अनुसार, खंड 7 बिजली गहन इकाइयों को उन इकाइयों के रूप में पिरिभाषित करता है जिनकी कुल बिजली की आवश्यकता अनुबंध भार के 2500 केवीए से अधिक है और जहां बिजली की लागत इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं की उत्पादन लागत के 25 प्रतिशत से अधिक है। जैसा कि ऊपर कहा गया है।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसमें अपीलार्थियों की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया है। तथापि, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। उक्त खंड 7 भार कारक और उत्पादन लागत के प्रतिशत के रूप में बिजली की लागत को संदर्भित करता है। अपीलार्थियों के अनुसार, लागत कारक का उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए, अर्थात् खपत को कम करना। अपीलार्थियों के अनुसार, खंड 7 के तहत लागत और भार कारकों दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक था ताकि ऐसे मामलों में जहां 2500 केवीए की सीमा से अधिक न हो, निवेश हतोत्साहित न हो। अपीलार्थियों के अनुसार, यदि एक इकाई को बिजली गहन इकाई बनाने के लिए दोनों शर्तों को पूरा किया जाना था, तो वर्तमान मामले में, उक्त

सरकारी आदेश दिनांकित 26/27.11.1993 लागू नहीं होगा क्योंकि संबंधित/प्रासंगिक अविध के दौरान प्रत्यर्थी की इकाई ने बिजली की लागत के कारण उत्पादन की कुल लागत के 25 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं किया था।

वर्तमान मामले में, खंड पीठ उक्त सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 के खंड 7 की व्याख्या के मामले में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करने में विफल रही है। उक्त सरकारी आदेश जारी करने का कारण अतिरिक्त बिजली की खपत पर अंकुश लगाना था न कि अतिरिक्त निवेश पर अंकुश लगाना। उक्त सरकारी आदेश जारी करने का अंतर्निहत कारण बिजली की खपत को प्रतिबंधित करना था ना कि अतिरिक्त निवेश के संदर्भ में इकाइयों के विस्तार को प्रतिबंधित करना। यह प्रत्यर्थी की ओर से उनके इस तर्क के समर्थन में दिया गया मूल तर्क है कि खंड 7 में 'और' शब्द को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

दूसरी ओर, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उक्त खंड में 'और' शब्द को 'या' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि उक्त सरकारी आदेश जारी करने का कारण 2500 के. वी. ए. की निर्धारित सीमा से अधिक या अतिरिक्त निवेश (अतिरिक्त सुविधा के लिए पूंजीगत व्यय) के माध्यम से अतिरिक्त बिजली की खपत पर अंकुश लगाना था। इन पहलुओं पर खंड पीठ द्वारा विचार नहीं किया गया है, हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस पर अपीलार्थियों के पक्ष में विचार किया गया था।

- 13. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि राज्य सरकार राज्य में बिजली की गम्भीर कमी के कारण दिनांक 26/27.11.1993 को व्यापक सरकारी आदेश जारी करने का हकदार था। हम आगे मानते हैं कि व्यापक सरकारी आदेश उन सभी इकाइयों पर लागू होता है जो बिजली गहन इकाइयाँ बन गईं। उस हद तक, हम राज्य द्वारा दायर दीवानी याचिकाऔं में योग्यता पाते हैं। हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ऊपर उल्लिखित बिंदुओं की जांच नहीं की है, केवल उस हद तक, हम मामले को खंड पीठ को उसके विचार के लिए भेजते हैं।
- 14. उपरोक्त के अधीन, राज्य द्वारा दायर दीवानी याचिकाऔ को अनुमति दी जाती है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

सिविल अपील सं. 8034/04-

[बिक्री कर अधिकारी और अन्य बनाम प्रीमियम फेरो अलॉयज लिमिटेड]

15. हालाँकि, घटनाओं की तारीखें अलग-अलग हैं, लेकिन यह मामला सरकार के सचिव और अन्य से संबंधित सिविल अपील संख्या 8031/04 और 8032-8033/04 बनाम मेसर्स पीके री-रोलिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड के

तहत तय किए गए मामले में कर छूट को वापस लेने के सवाल पर समान है।

- 16. वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदुओं में से एक यह है कि क्या प्रीमियम फेरो अलॉयज लिमिटेड 24.11.1998 के बाद किए गए अतिरिक्त निवेश पर कर छूट का दावा करने का हकदार है। उक्त कंपनी (यहाँ प्रत्यर्थी) की ओर से यह आग्रह किया गया है कि सरकारी आदेश सं. 169/98/आई. डी. दिनांकित 24.11.1998 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने सभी प्रकार की स्टील री-रोलिंग मिलों, लोहे की सिल्लियों का निर्माण करने वाली इकाइयों को संभावित रूप से शामिल करके नकारात्मक सूची को संशोधित किया गया। इस संबंध में उक्त सरकारी आदेश के खंड 3 पर भरोसा रखा गया था।
- 17. हम उपरोक्त विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। हम यहां दिनांक 24.11.1998 के उक्त सरकारी आदेश के खंड 2 और खंड 3 को उद्धृत करते हैं।
 - " 2. उद्योग और वाणिज्य निदेशक ने ऊपर पढ़े गए अपने पत्र में नकारात्मक सूची में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया हैं। सरकार ने उद्योग और वाणिज्य निदेशक के प्रस्ताव की जांच की है और निम्नलिखित उद्योगों को भी नकारात्मक सूची में

शामिल करके ऊपर पढ़े गए सरकारी आदेश में संशोधन करने का निर्णय लिया हैं।

- 1. ग्रेनाइट विनिर्माण इकाइयों सहित धातु क्रशर।
- 2. सभी प्रकार के स्टील री-रोलिंग मिल्स, लोहे की सिल्लियों का निर्माण करने वाली इकाइयाँ
- 3. फेरो सिलिकाॅन
- 4. कैल्शियम कार्बाइड
- 5. सीमेंट निर्माण
- 6. पोटेशियम क्लोरेट
- 3. यह आदेश, आदेश की तारीख से प्रभावी होगा और इस आदेश की तारीख से अस्थायी पंजीकरण या आई. ई. एम./एस. आई. ए., जैसा भी मामला हो लेने वाली सभी इकाइयों पर मामला लागू होगा। ऊपर पढ़े गए सरकारी आदेश में निर्धारित सभी शर्तें और बाद में जारी किए गए संशोधन/स्पष्टीकरण इस आदेश पर भी लागू होंगे। "
- 18. उपरोक्त दोनों खंडों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सरकारी आदेश दिनांक 26 /27.11.1993 को सरकारी आदेश दिनांकित 24.11.1998

द्वारा संशोधित किया गया। इसलिए, यदि उक्त सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 लागू पाया जाता है तो दिनांक 24.11.1998 का सरकारी आदेश जो कि पिछले दिनांक 26/27.11.1993 के सरकारी आदेश का संशोधन है, एक स्पष्टीकरणात्मक सरकारी आदेश के रूप में लागू होगा। हम दोहरा सकते हैं कि सिविल अपील संख्या 8031/04 और 8032-8033/04 में अपने निर्णय में सरकारी आदेश दिनांक 26/27.11.1993 के खंड 7 की व्याख्या का प्रश्न उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है। हालाँकि, जहाँ तक दिनांकित 24.11.1998 के सरकारी आदेश की पूर्वव्यापीता का संबंध है, हमारा विचार है कि उक्त सरकारी आदेश स्पष्टीकरणात्मक है। इसलिए, प्रीमियम फेरो अलॉयज लिमिटेड की ओर से उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि दिनांक 24.11.1998 का उक्त सरकारी आदेश संभावित है ना कि पूर्वव्यापी।

19. हालाँकि, वे मुद्दे, जिन्हें हमने पूर्ववर्ती मामलों में (सिविल अपील सं. 8031/04 और 8032-8033/04), में खंड पीठ को भेजे है, वे वर्तमान मामले में भी उत्पन्न होते हैं।

20. इन परिस्थितियों में, हम इस मामले को भी खंड पीठ को भेजते हैं। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ से 2003 की रिट एप्लीकेशन संख्या 1477 को, 2003 की रिट एप्लीकेशन संख्या 991, 1316 और 1561 के साथ जोड़ने और याचिकाओं पर तदनुसार निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं।

21. उपरोक्त के अधीन, खर्चा के संबंध में बिना किसी आदेश के याचिका की अनुमति दी जाती है।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी साजिद हुसैन छीपा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।